रजिस्ट्री सं. डी.(डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D.(D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 19, 1991/चैत्र 29, 1913
No. 150] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 19, 1991/CHAITRA 29, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1991

सा. का. नि. 221(अ).—दिनांक 7 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में पृष्ठ संख्या 1—8 पर प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य

और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की 7 जनवरी, 1991 की अधिसूचना सा.का.नि. 10(अ) में :—

1. पृष्ठ 2, बाएं कालम की—

(1) प्रथम पंक्ति में—

"अधिक न हो 4 मिलाया जा सकता है" के स्थान पर
"अधिक न हो मिलाया जा सकता है" शब्द पढ़ें।

(2) नियम (घ) की प्रथम पंक्ति में "समुचित" शब्द के स्थान पर "समुप्रित" पढ़ें ।

(3) नियम (ङ) की प्रथम पंक्ति में "निम्नलितित" शब्द के स्थान पर "निम्नलिखित" पढ़ें ।

(4) मद क. 11.02.22,

प्रथम पंक्ति में शब्द "एक्समान" शब्द को "एकसमान" पढ़ें ।

तालिका की क्रम संख्या—1 में दी गई अपेक्षाओं में, "भार के आधार पर कुल ठोस ठोस प्रतिशत" शब्दों को "भार के आधार पर कुल ठोस प्रतिशत" पढ़ें ।

2. पृष्ठ 3, प्रथम कालम में;

मद क. 11.02.22.01 के अंतिम पैरा की दूसरी पंक्ति में, शब्द "शुद्ध आधार पर" को "शुष्क आधार पर" पढ़ें ।

[सं. पी. 15014/2/89—पी. एच. (एफ. एण्ड एन.)]
बलबीर सिंह, संयुक्त सचिव

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991